

कार्यालय मुख्य महाप्रबन्धक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रायगढ़

पहाड़ मंदिर रोड, लोचन नगर, रायगढ़ (छ.ग.)

दूरभाष : 07762-222914, फ़ैक्स : 07762-222914, ई-मेल : dtic-raigarh.cg@gov.in

क्रमांक / जिव्याउके-रा/भू-अर्जन/2018/
प्रति,

1747

रायगढ़ दिनांक

4.4.18

सूचना विज्ञान अधिकारी,
जिला सूचना विज्ञान केन्द्र
रायगढ़


विषय:- भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 04/अ-82/2016-17 ग्राम बोड़ाझरिया में अधिनियम की धारा-19 की अधिसूचना के प्रकाशन के संबंध में ।

संदर्भ:- अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, रायगढ़ का पत्र क्रमांक 913/भू-अर्जन/2018 दिनांक 19.03.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के तहत अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ द्वारा ग्राम बोड़ाझरिया के भू-अर्जन हेतु अधिनियम की धारा-19 की अधिसूचना का प्रकाशन समुचित सरकार के वेबसाईट में प्रकाशन करने हेतु अधिसूचना की प्रति प्रेषित किया गया है ।

अतः ग्राम बोड़ाझरिया के धारा-19 की अधिसूचना समुचित सरकार के वेबसाईट में प्रकाशन संलग्न प्रेषित है ।

संलग्न- उपरोक्तानुसार


मुख्य महाप्रबन्धक
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र
रायगढ़ छ.ग

पृ0क्रमांक / जिव्याउके-रा/भू-अर्जन/2018/
प्रतिलिपि

रायगढ़ दिनांक

1. कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) रायगढ़ की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, रायगढ़ की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ प्रेषित ।

मुख्य महाप्रबन्धक
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र
रायगढ़ छ.ग

अधिसूचना

दिनांक- 19/03/18.....

क्र. 04/अ-82/2015-16 चूँकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास तथा पुनर्व्यवस्थान में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के तहत यह घोषित किया जाता है, कि इस भूमि का उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन -

1. जिला - रायगढ़
2. तहसील - पुसौर
3. ग्राम/नगर - बोड़ाइरिया
4. भूमि का क्षेत्रफल - 4.167 हे०

ख. न.	रकबा (हे० में)	ख. न.	रकबा (हे० में)	ख. न.	रकबा (हे० में)
114/4घ/1	0.100	260/2	0.160	410/2	0.121
171/2	0.178	260/3	0.154	444/1	0.113
172/2		260/4	0.085	526/1क/1	0.124
173/2		260/4 ख	0.085	526/1ख	0.061
245	0.260	261	0.210	526/1ग	0.061
247	0.231	262/1	0.061	527/1घ	0.405
248	0.238	262/2	0.028	529/1घ	
257	0.822	262/3	0.028	819/1क	0.019
259	0.554	324	0.069	कुल खसरा 26 कुल रकबा 4.167 हे०	

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

3. उक्त भूमि अर्जन में किसी भी व्यक्ति का विस्थापन निहित नहीं है।

पुनर्वास योजना का अवलोकन प्रशासन/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा

आदेशानुसार

प्रतिहस्ताक्षर
अ.वि.अ. (रा.सू.)
भू-अर्जन अधिकारी रायगढ़ (छ.ग.)

(शम्मी आबिदी)

कलेक्टर रायगढ़ एवं पदेन उप सचिव

छ. ग. शासन राजस्व एवं आपदा

प्रबंधन विभाग